



2026:AHC:170608

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 6745 वर्ष 2025

राजधर मिश्रा

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राजीव कुमार मिश्रा, शिवकांत मिश्रा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र सिंह, श्रवण कुमार यादव, बृज बिहारी यादव,

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार मिश्रा, शिकायतकर्ता/प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री बृज बिहारी यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. आवेदक- राजधर मिश्रा को वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2025 के आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री भूपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार यादव को सुना गया। अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।



3. यह आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 488 वर्ष 2019, धारा 147, 323, 354ए, 504 भारतीय दंड संहिता और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत, थाना सरयिनायत, जिला प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है।"

4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि पक्षकारों के बीच किसी अन्य विवाद के कारण आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 6.9.2019 को घटी थी। प्राथमिकी 8.9.2019 को दर्ज की गई थी। प्रारंभ में, प्राथमिकी धारा 147, 323, 504 और 354ए के तहत दर्ज की गई थी। बाद में, पीड़िता ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में अभियोजन पक्ष के कमजोर प्रकरण को बचाने के लिए घटना का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया। कथित घटना में न तो सूचना देने वाले को और न ही पीड़िता को कोई चोट आई थी। प्रकरण डायरी में किसी चोट की सूचना उपलब्ध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ कोई अभद्रता नहीं की थी। प्राथमिकी और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता और 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़िता के बयान में विरोधाभास हैं। ये विरोधाभास अभियोजन पक्ष के प्रकरण को कमजोर करते हैं। आवेदक के खिलाफ अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराधों से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। विवेचना पूरी हो चुकी है। आवेदक ने विवेचना में सहयोग किया है। हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।

4. प्रकरण पर विचार आवश्यक है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने प्रतिपक्ष दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया जाता है। यदि कोई प्रत्युत्तर हलफनामा हो, तो उसे इसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

6. इस प्रकरण को 26.9.2025 को अतिरिक्त कारण सूची में रखा जाए।



7. अगली सुनवाई की तारीख तक, गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त प्रकरण में शामिल आवेदक राजधर मिश्रा को 100 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक 50,000/- रुपये की जमानत राशि के साथ दो जमानती प्रस्तुत करेगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप होगी, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विवश हो;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित न्यायालय में जमा करना होगा।

7. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय उसे लागू करने और बाध्य करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।“

3. आवेदक को दिनांक 21.08.2025 के आदेश द्वारा पूर्व में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी और उक्त आदेश के अनुसरण में, आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, जो प्रति हलफनामे में संलग्न आदेश पत्र से स्पष्ट है। इस प्रकरण में विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक नियमित रूप से अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, इसलिए आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 21.08.2025 के आदेश द्वारा आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को **स्थायी** घोषित किया जाता है। आवेदक इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2025 को पारित आदेश में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेगा।

5. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. दिनांक 21.08.2025 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी आवेदक को दी गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए संबंधित न्यायालय में उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

12 अगस्त, 2026

राधिका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।